

17/6

हरियाणा

पश्चात्तर्फी

ज

वादी एवं प्रतिवादी नं. 1 के मध्य आचरणा
 उपास्यत बाका आदि किया किया कि
 इस प्रकार से संबंधित मूलवादी पर सं.
 194/2019 आज दिनांक 17/6/2021 का
 विद्वान् बाका खारिज हो चुका है/ इसीलिए
 अब इस प्रकार के 'कांड' का प्रवादी/बाका
 नहीं रह जाता है/ अतः उक्त प्राथनापत्र
 को इसी स्थान पर खारिज किया जाय
 अतः प्राथनापत्र का प्राथनापत्र क्रमांक-212
 अतः कांड आचरण इसी स्थान पर खारिज
 किया जाता है/ प्रकरण में दिनांक 20/11/2019
 को जारी आदेश, निष्पत्ती प्राथनापत्र के
 खारिज हो जाने से स्वतः ही निष्पत्ती
 माना जाता है/ पत्राचार क्रमांक शुभा
 बाका नम्बर 14 क्रमांक 14

आवाचन

उपसंख्य अधिकारी
जिलाहोडा (राज.)

